



रजि० नं० एल०डब्लू०/एल०पी० 890

लाइसेंस नं. डब्लू. पी.-41

लाइसेंस दू पाँच एंड कन्सर्बनल रूले

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 12 जनवरी, 2000

पीठ 22, 1921 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 144/लखह-वि-1—1(क) 35-1999

लखनऊ, 12 जनवरी, 2000

अधिसूचना

विधि

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2000 पर दिनांक 11 जनवरी, 2000 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2000 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनाई इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 2000

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2000)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 का अग्रदूर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 2000 कहा जायगा।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 9 सितम्बर, 1999 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधि-
नियम संख्या 17
सन् 1976 की
धारा 1 का
संशोधन

2—उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 1 में, उपधारा (4) में, खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

“(छ) अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी या अन्य कर्मचारी।”

धारा 2 का
संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 2 में,—

(क) खण्ड (क-2) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा अर्थात् :—

“(क-2 क) “मुख्य न्यायाधीश” का तात्पर्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से है;”

(ख) खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

“(खख) “सेवा सम्बन्धी मामले” का तात्पर्य किसी लोक सेवा की सेवा की शर्तों से सम्बन्धित किसी मामले से है;”

(ग) खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात् :—

“(घ) “उपाध्यक्ष” का तात्पर्य अधिकरण के उपाध्यक्ष (न्यायिक) या उपाध्यक्ष (प्रशासकीय) से है।”

धारा 3 का
संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 3 में,—

(क) उपधारा (2) में शब्द “एक उपाध्यक्ष” के स्थान पर शब्द “एक उपाध्यक्ष (न्यायिक), एक उपाध्यक्ष (प्रशासकीय)” रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रख दी जायेंगी, अर्थात् :—

“(4) कोई व्यक्ति उपाध्यक्ष (न्यायिक) के रूप में नियुक्ति के लिये अर्ह नहीं होगा जब तक कि,—

(क) उसने कम से कम पांच वर्ष तक जिला न्यायाधीश या उसके समकक्ष कोई अन्य पद धारण न किया हो; या

(ख) उसने कम से कम दो वर्ष तक न्यायिक सदस्य का पद धारण न किया हो।

(4-क) कोई व्यक्ति उपाध्यक्ष (प्रशासकीय) के रूप में नियुक्ति के लिये अर्ह नहीं होगा जब तक कि,—

(क) उसने कम से कम दो वर्ष तक (प्रशासकीय) सदस्य का पद धारण न किया हो; या

(ख) उसने कम से कम दो वर्ष तक भारत सरकार के अपर सचिव का पद या केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार के अद्योक्त ऐसा कोई पद धारण न किया हो जिसका वेतनमान भारत सरकार के अपर सचिव के वेतनमान से कम न हो और उसे राज्य सरकार की राय में न्याय व्यवस्था का पर्याप्त अनुभव न हो।”

(ग) उपधारा (6) में शब्द “उसे न्याय व्यवस्था का पर्याप्त अनुभव न हो” के स्थान पर शब्द “उसे राज्य सरकार की राय में, न्याय व्यवस्था का पर्याप्त अनुभव न हो” रख दिये जायेंगे;

(घ) उपधारा (7) में शब्द “राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे” के स्थान पर शब्द “मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे जिसके लिये प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा आरम्भ किया जायेंगे” रख दिये जायेंगे;

(इ) उपधारा (10) में, शब्द "की गयी ऐसी जांच के पश्चात्" के स्थान पर शब्द "मुख्य न्यायाधीश द्वारा या उच्च न्यायालय के किसी ऐसे न्यायाधीश द्वारा, जिसे मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाय, की गयी ऐसी जांच के पश्चात्" रख दिये जायेंगे।

5--मूल अधिनियम की धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:—

धारा 4 का संशोधन

"4 (1) इस अधिनियम के अन्वय उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कोई व्यक्ति; जो लोक सेवक हो या रहा हो और अधिकरण की अधिकारिता के भीतर किसी सेवा सम्बन्धी मामले के सम्बन्ध में किसी आदेश से व्यक्ति हो, अपनी शिकायत को दूर कराने के लिये अधिकरण की दावा निर्दिष्ट कर सकेगा।

स्पष्टीकरण— इस उपधारा के प्रयोजन के लिये "आदेश" का तात्पर्य धारा 2 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य निगम या कंपनी द्वारा या राज्य सरकार या ऐसे स्थानीय प्राधिकारी या निगम या कंपनी के किसी अधिकारी, समिति या अन्य निकाय या अधिकरण द्वारा दिये गये किसी आदेश से है :

परन्तु किसी करार के निबन्धनों के अधीन रहते हुये, कोई निर्देश किसी लोक सेवक के स्थानान्तरण से उत्पन्न होने वाले किसी दावा के बारे में नहीं किया जायगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक निर्देश ऐसे प्ररूप में होया और उसके साथ ऐसे दस्तावेज या अन्य साक्ष्य और ऐसे निर्देश के दाखिल किये जाने के संबंध में ऐसी फीस और आदेशिकाओं के निष्पादन या तामील के लिए ऐसी अन्य फीस, जो विहित की जाय, संग्रह की जायेगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन निर्देश की प्राप्ति पर, यदि अधिकरण का, ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, यह समाधान हो जाय कि संदर्भ उसके न्याय निर्णयन या विचारण के लिये उचित है, तो वह निर्देश ग्रहण करेगा और यदि अधिकरण का इस प्रकार समाधान नहीं होता है तो वह इसके कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् उसे संक्षेपतः नामंजूर कर देगा।

(4) जहां कोई निर्देश, उपधारा (3) के अधीन अधिकरण द्वारा ग्रहण कर लिया गया हो, वहां ऐसे निर्देश की विषय वस्तु से सम्बन्धित शिकायतों को दूर करने के बारे में सुसंगत सेवा नियमावली या विनियम या किसी संविदा के अधीन ऐसी प्रत्येक कार्यवाही का, जो ऐसे निर्देश ग्रहण किये जाने के पूर्व सम्बन्धित है, उपशमन हो जायगा और उसके सिवाय जैसा अधिकरण निर्देश दे, ऐसे विषय के सम्बन्ध में इसके पश्चात् कोई अपील या अप्पेलावेदन ऐसी नियमावली, विनियम या संविदा के अधीन ग्रहण नहीं किया जायगा।

(5) अधिकरण सामान्यतया कोई निर्देश तब तक ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि उसका यह समाधान न हो जाय कि लोक सेवक ने सुसंगत सेवा नियमावली विनियम या संविदा के अधीन शिकायतों को दूर करने के बारे में उसे उपलब्ध समस्त उपचारों का उपयोग कर लिया है।

(6) उपधारा (5) के प्रयोजनों के लिए, यदि राज्य सरकार या उसके किसी प्राधिकारी या अधिकारी या ऐसा आदेश पारित करने के लिये सक्षम अन्य व्यक्ति द्वारा, ऐसी नियमावली विनियम या संविदा के अधीन शिकायत के संबंध में किसी लोक सेवक द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील या दिये गये अप्पेलावेदन को निरस्त करते हुए कोई अंतिम आदेश दिया गया हो, तो यह समझा जायगा कि लोक सेवक ने उपलब्ध समस्त उपचारों का उपयोग कर लिया है :

परन्तु यह कि जहां लोक सेवक द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील या दिये गये अप्पेलावेदन के सम्बन्ध में राज्य सरकार, प्राधिकारी या अधिकारी या ऐसा आदेश पारित करने के लिए सक्षम अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसी अपील प्रस्तुत करने या अप्पेलावेदन देने के छः माह के भीतर कोई अंतिम आदेश न दिया गया हो, वहां लोक सेवक रजिस्ट्रीकृत ढाक से लिखित सूचना द्वारा ऐसे सक्षम प्राधिकारी से आदेश पारित करने की अपेक्षा कर सकता है और यदि ऐसी सूचना की तामील के एक मास के

भीतर आदेश पारित नहीं किया जाता है तो यह समझा जायगा कि लोक सेवक ने उपलब्ध समस्त उपचारों का उपयोग कर लिया है।

(7) उपधारा (5) और (6) के प्रयोजनों के लिए यदि राज्यपाल या किसी अन्य कृत्यकारी को कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए कोई उपचार किसी लोक सेवक को उपलब्ध है तो ऐसे उपचार को उपलब्ध उपचारों में से कोई उपचार तब तक नहीं समझा जायगा, जब तक कि लोक सेवक ऐसा अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का चयन नहीं करता है।"

धारा 4-क का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 4-क को उपधारा (5) में,—

(क) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात् :—

“(क) अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्धित किसी आदेश के विरुद्ध दावे के किसी निदेश की मुतवाही और उसका अन्तिम विनिश्चय दो सदस्यों से गठित न्यायपीठ द्वारा किया जायगा :

परन्तु एक सदस्य द्वारा जाध्य लिया जा सकता है और उसकी कार्यवाही को संचालित किया जा सकता है।”

(ख) खण्ड (ग) में शब्द “यदि वह ऐसा करना उचित समझे” के स्थान पर शब्द “स्वप्रेरणा से या दावे के किसी निदेश के किसी पक्षकार के आवेदन पर” रख दिये जायेंगे।

धारा 5 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 5 में,—

(क) उपधारा (5-ख) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी; अर्थात् :—

“(5-ग) पूर्ववर्ती उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी, अधिकरण को किसी लोक सेवक के विरुद्ध सेवामोक्षक द्वारा की गयी प्रतिकूल प्रविष्टि के सम्बन्ध में अन्तरिम आदेश (आदेश या स्थगन के रूप में या किसी अन्य रीति से) देने की शक्ति नहीं होगी और ऐसी प्रतिकूल प्रविष्टि के सम्बन्ध में प्रत्येक अन्तरिम आदेश (आदेश या स्थगन के रूप में या किसी अन्य रीति से) जिसे अधिकरण ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारम्भ होने से पूर्व दिया था और जो ऐसे प्रारम्भ होने के दिनांक को प्रवृत्त है, अभिशुभ्य हो जायगा।”

(ख) उपधारा (9) में शब्द और श्रृंखला “धारा 193” के स्थान पर शब्द और श्रृंखला “धारा 193, 219” रख दिये जायेंगे।

धारा 5-क का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 5-क में, खण्ड (ख) में शब्द “ऐसे विधि अधिकारी के” के स्थान पर शब्द “दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त लोक अभियोजक या ऐसे अन्य विधि अधिकारी के” रख दिये जायेंगे।

धारा 6 का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 6 में; उपधारा (1) में शब्द “खण्ड (क) से (च)” के स्थान पर शब्द “(क) से (छ)” रख दिये जायेंगे।

धारा 6-क; 6-ख और 6-ग का बढ़ाया जाना

10—मूल अधिनियम की धारा 6 के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :—

“6-क भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अन्तर्गत अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और अन्य कर्मचारी लोक सेवक समझे जायेंगे।
अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और अन्य कर्मचारी लोक सेवक समझे जायेंगे।
अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और अन्य कर्मचारी लोक सेवक समझे जायेंगे।
अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और अन्य कर्मचारी लोक सेवक समझे जायेंगे।

6-ख (1) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में सम्भावपूर्वक की गयी या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही

नहीं की जायगी।

6-ग अध्याय, उपाध्याय और सदस्य, न्यायाधीश (संरक्षण) अधिनियम, 1985
सदस्य न्यायाधीश और न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम, 1850
होंगे के प्रयोजनों के लिए न्यायाधीश समझे जायेंगे।”

11—मूल अधिनियम की धारा 7 में, उपधारा (2) में खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रद्द दिया जायगा, अर्थात् :—

धारा 7 का संशोधन

“(ग) वह प्रारूप जिसमें किसी दावे का निर्देश किया जा सकता है, दस्तावेज और अन्य साक्ष्य जो ऐसे निर्देश के साथ संलग्न होंगे और ऐसे निर्देश को वास्तविक किये जाने के सम्बन्ध में या आदेशिकाओं के निष्पादन या तामील के लिए देय फीस।”

12—मूल अधिनियम की धारा 8 के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

नई अनुसूची का बढ़ाया जाना

अनुसूची

[धारा 4-क (5) (क) देखिये]

मामले जिनकी सुनवाई और अन्तिम विनिश्चय, दो सदस्यों से गठित न्यायपीठ द्वारा किया जायगा।

1—निम्नलिखित से सम्बन्धित किसी आदेश के विरुद्ध दावों के समस्त निर्देशः—

(क) किसी लोक सेवक की पदोन्नति उयेष्ठता, जन्मतिथि या अधिवर्धिता का विवाक;

(ख) धारा 2 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी सेवा में विनियमितीकरण;

(ग) किसी लोक सेवक की पदच्युति, हटाये जाने, प्रत्यावर्तन या पदावनति; वेतनवृद्धि पर स्थायी रोक, सेवा में व्यवधान, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, निलम्बन, सेवा समाप्ति या ह्याग-पत्र;

(घ) किसी सेवानिवृत्त लोक सेवक की पेंशन का पूर्णतः या अंशतः रोकना जाना या प्रत्याहरण करना, पेंशन से बसूली और पेंशन के लिए अधि की गणना।

2—अवमानना के सभी मामले।

3—उपर्युक्त मामलों से सम्बन्धित आदेशों के विरुद्ध दावों के निर्देश का ग्रहण किया जाना।

13—(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 1999 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानते इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा है;
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

No. 144(2)/XVII-V-1—1 (KA)-35-2000

Dated Lucknow, January 12, 2000

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Lok Seva (Adhikaran) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2000 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 5 of 2000) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on January 11, 2000.

(33)

THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICES (TRIBUNAL)
(AMENDMENT) ACT, 2000

(U. P. ACT No. 5 of 2000)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN
ACT

further to amend the Uttar Pradesh Public Services (Tribunal) Act, 1976.

IT IS HEREBY enacted in the Fiftieth Year of the republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Public Services (Tribunal) (Amendment) Act, 2000.

(2) It shall be deemed to have come into force on September 9, 1999.

Amendment of section 1 of U.P. Act no. 17 of 1976

2. In section 1 of the Uttar Pradesh Public Services (Tribunal) Act, 1976, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (4) after clause (f) the following clause shall be inserted, namely :—

“(g) the Chairman, Vice-Chairman, Members, officers or other employees of the Tribunal”.

Amendment of section 2

3. In section 2 of the principal Act,—

(a) after clause (a-2), the following clause shall be inserted, namely :—

“(a-2A) “Chief Justice” means the Chief Justice of the High Court,”

(b) after clause (b) the following clause shall be inserted, namely :—

“(bb) “service matter” means a matter relating to the conditions of service of a public servant,”

(c) for the clause (d) the following clause shall be substituted, namely :—

“(d) “Vice-Chairman” means the Vice-Chairman (Judicial) or Vice Chairman (Administrative) of the Tribunal.”

Amendment of section 3

4. In section 3 of the principal Act,—

(a) in sub-section (2) for the words “a Vice-Chairman” the words “a Vice-Chairman (Judicial), a Vice-Chairman (Administrative)” shall be substituted.

(b) for sub-section (4) the following sub-sections shall be substituted, namely :—

“(4) A person shall not be qualified for appointment as Vice-Chairman (Judicial) unless he,—

(a) has held the post of District Judge or any other post equivalent thereto for at least five years; or

(b) has, for at least two years, held the post of a Judicial member.

(4-A) A person shall not be qualified for appointment as Vice-Chairman (Administrative) unless he,—

(a) has, for at least two years, held the post of an Administrative member; or

(b) has, for at least two years, held the post of Additional Secretary to the Government of India or any other post under the Central or a State Government carrying a scale of pay which is not less than that of an Additional Secretary to the Government of India and has, in the opinion of the State Government, adequate experience in dispensation of Justice.”

(c) in sub-section (6) for the words “has adequate experience”, the words “has, in the opinion of the State Government, adequate experience” shall be substituted;

(d) In sub-section (7) for the words "State Government" the words "State Government after consultation with the Chief Justice for which proposal will be initiated by the State Government" shall be substituted;

(e) in sub-section (10) for the words "such inquiry made", the words "an inquiry made by the Chief Justice or such Judge of the High Court as may be nominated by the Chief Justice" shall be substituted.

5. For section 4 of the principal Act the following section shall be substituted, namely:—

Amendment of section 4

"4 (1) Subject to the other provisions of this Act, a person who is or has been a public servant and is aggrieved by an order pertaining to a service matter within the jurisdiction of the Tribunal, may make a reference of claim to the Tribunal for the redressal of his grievance.

Explanation: For the purpose of this sub-section "order" means an order made by the State Government or a local authority or any other Corporation or company referred to in clause (b) of section 2 or by an officer, committee or other body or agency of the State Government or such local authority or Corporation or company:

Provided that no reference shall, subject to the terms of any contract, be made in respect of a claim arising out of the transfer of a public servant.

(2) Every reference under sub-section (1) shall be in such form and be accompanied by such documents or other evidence and by such fee in respect of the filing of such reference and by such other fees for the service or execution of processes, as may be prescribed.

(3) On receipt of a reference under sub-section (1), the Tribunal shall, if satisfied after such inquiry as it may deem necessary that the reference is fit for adjudication or trial by it, admit such reference and where the Tribunal is not so satisfied, it shall summarily reject the reference after recording its reasons.

(4) Where a reference has been admitted by the Tribunal under sub-section (3), every proceeding under the relevant service rules or regulation or any contract as to redressal of grievances in relation to the subject matter of such reference pending immediately before such admission shall abate, and save as otherwise directed by the Tribunal, no appeal or representation in relation to such matter shall thereafter be entertained under such rules, regulations or contract.

(5) The Tribunal shall not ordinarily admit a reference unless it is satisfied that the public servant has availed of all the remedies available to him under the relevant service rules, regulations or Contract as to redressal of grievances.

(6) For the purposes of sub-section (5) a public servant shall be deemed to have availed of all the remedies available to him if a final order has been made by the State Government, an authority or officer thereof or other person competent to pass such order under such rules or regulations or contract rejecting any appeal preferred or representation made by such public servant in connection with the grievance:

Provided that where no final order is made by the State Government, authority, officer or other person competent to pass such order with regard to the appeal preferred or representation made by such public servant within six months from the date on which such appeal was preferred or representation was made, the public servant may, by a written notice by registered post, require such competent authority to pass the order and if the order is not passed within one month of the service of such notice, the public servant shall be deemed to have availed of all the remedies available to him.

(7) For the purposes of sub-sections (5) and (6) any remedy available to the public servant by way of submission of a memorial to the Governor or to any other functionary shall not be deemed to

be one of the remedies, which are available unless the public servant had elected to submit such memorial."

Amendment of
section 4 A

6. In section 4-A of the principal Act, in sub-section (5),—

(a) for clause (a) the following clause shall be substituted, namely :—

"(a) A reference of claim against an order pertaining to a matter specified in the Schedule shall be heard and finally decided by a Bench consisting of two members :

Provided that evidence may be received and proceeding therefor may be conducted by a single member.

(b) in clause (c) for the words "may, if he thinks fit to do so" the words "may on his own initiative or on the application of a party to a reference of claim" shall be substituted.

Amendment of
section 5

7. In section 5 of the principal Act,—

(a) after sub-section (5-B) the following sub-section shall be inserted, namely :—

"(5-C) Notwithstanding anything in the foregoing sub-sections, the Tribunal shall have no power to make an interim order (whether by way of injunction or stay or in any other manner) in respect of an adverse entry made by an employer against a public servant, and every interim order (whether by way of injunction or stay or in any other manner) in respect of an adverse entry, which was made by a Tribunal before the commencement of the Uttar Pradesh Public Services (Tribunal) (Amendment) Act, 2000 and which is in force on the date of such commencement shall stand vacated."

(b) in sub-section (9) for the word and figure "Section 193" the word and figures "sections 193, 219" shall be substituted.

Amendment of
section 5-A

8. In section 5-A of the principal Act, in clause (b) for the words "such law officer" the words "the public prosecutor appointed by the State Government under sub-section (1) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 or such other law officer" shall be substituted.

Amendment of
section 6

9. In section 6 of the principal Act, in sub-section (1) for the words "clauses (a) to (f)" the words "clauses (a) to (g)" shall be substituted.

Insertion of new
sections 6-A, 6-B
and 6-C

10. After section 6 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely :—

"6-A The Chairman, Vice-Chairman, Members, Officers and other Members and employees of the Tribunal shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the India Penal Code.

6-B(1) No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Chairman, Vice-Chairman, members or any other person for anything which is in good faith done or intended to be done, in pursuance of the provisions of this Act or the rules made thereunder.

6-C The Chairman, Vice-Chairman and members shall be deemed to be the Judges for the purposes of the Judges (Protection) Act, 1985 and the Judicial Officers Protection Act, 1850".

Amendment of
section 7

11. In section 7 of the principal Act, in sub-section (2) for clause (c) the following clause shall be substituted, namely :—

"(c) the form in which a reference of claim may be made the document and other evidence by which such reference shall be accompanied and the fees payable in respect of the filing of such reference or for the execution or service of processes."

12. After section 8 of the principal Act, the following Schedule shall be inserted, namely:—

Insertion of new Schedule

SCHEDULE

[See section 4-A (5) (a)]

Matters to be heard and finally decided by a Bench consisting of two members.

1. All references of claims against an order pertaining to,—

(a) promotion, seniority, date of birth or date of superannuation of a public servant;

(b) regularisation in a service referred to in clause (b) of section 2;

(c) dismissal, removal, reversion or reduction in rank, permanent stoppage of increment, break in service, compulsory retirement, suspension, termination or resignation of a public servant;

(d) withholding or withdrawing pension, wholly or partly recovery from pension and counting of period for pension, of a retired public servant.

2. All contempt matters.

3. Admission of references of claims against orders pertaining to the aforesaid matters.

13. (1) The Uttar Pradesh Public Services (Tribunals) (Amendment) Ordinance, 1999 is hereby repealed.

Repeal and savings

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

U. P.
Ordinance
No. 17 of
1999

By order,
Y. R. TRIPATHI,
Pramukh Sachiv,